

## प्रेस नोट

मारुती स्वीफ्ट वाहन से भारी मात्रा में मादक पदार्थ हेरोइन कुल 300 ग्राम कीमती रु० तीस लाख (30,00,000)

की बरामदगी व 03 नफर अभियुक्त गिरफ्तारी

विगत कई दिनों से आसूचना प्राप्त हो रही थी कि जनपद में अवैध रूप से भारी मात्रा में मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है। इस सूचना पर अपराधियों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु श्री आशीष श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक जनपद सोनभद्र द्वारा अपराध शाखा के स्वाट/एसओजी/सर्विलांस टीम को विशिष्ट निर्देश दिये गये। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री ओम प्रकाश सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजकुमार त्रिपाठी के निर्देशन में स्वाट/एसओजी/सर्विलांस टीम तथा राबर्टसगंज पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गयी। इस टीम द्वारा अथक लगन व परिश्रम से अपना आसूचना संजाल तैयार किया गया, इसी क्रम में दिनांक 19.09.2020 को स्वाट/एसओजी/सर्विलांस टीम व थाना राबर्टसगंज पुलिस को जरिये मुखबीर खास के सूचना प्राप्त हुयी कि भीरजापुर हिन्दवारी मार्ग पर हिन्दवारी तिराहे के पास कुछ व्यक्ति भारी मात्रा में नाजायज मादक पदार्थ हेरोइन लेकर भीरजापुर से आ रहे हैं, यदि जल्दी चला जाये तो पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना पर प्रभारी स्वाट टीम श्री प्रदीप सिंह, प्रभारी सर्विलांस सुश्री सरोजमा सिंह व उ०नि० श्री जयप्रकाश शर्मा चौकी प्रभारी हिन्दवारी के नेतृत्व में 03 नफर अभियुक्तों को मारुती स्वीफ्ट वाहन से भारी मात्रा में मादक पदार्थ हेरोइन के साथ पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों की तलाशी के उपरान्त उनके पास से कुल 300 ग्राम हेरोइन मादक पदार्थ बरामद हुआ। इस गिरफ्तारी व बरामदगी का विवरण निम्नवत् है:-

### गिरफ्तारी का विवरण

01. देवेश प्रताप सिंह पुत्र कुंजबिहारी सिंह निवासी म०नं० 455 वार्ड नं० 03 पचयोरा थाना बैढन जनपद सिंगरौली म०प्र०।
02. कुन्दन वर्माकर पुत्र सुरेश वर्माकर निवासी म०नं० 512 अमलौरी कालोनी थाना बैढन जनपद सिंगरौली म०प्र०।
03. दीपेन्द्र सिंह पुत्र श्रीराम सिंह निवासी सिल्पी थाना घोरावल हा०प० आईईई क्वा०नं० 39 ओबरा थाना ओबरा जनपद सोनभद्र।

### आपराधिक इतिहास दीपेन्द्र सिंह

01. मु०अ०सं० 97/2018 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना चोपन
02. मु०अ०सं० 157/2019 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना चोपन
03. मु०अ०सं० 442/2015 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना ओबरा
04. मु०अ०सं० 27/2017 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना ओबरा
05. मु०अ०सं० 104/2018 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना ओबरा

### बरामदगी का विवरण

01. नाजायज हेरोइन 300 ग्राम। जिसकी अनुमानित मूल्य लगभग 30,00,000 रुपये है।

02. एक अदद मारुती स्वीफ्ट कार

### पुलिस टीम का विवरण:-

01. उ०नि० श्री प्रदीप सिंह प्रभारी स्वाट टीम जनपद सोनभद्र।
02. उ०नि० सरोजमा सिंह प्रभारी सर्विलांस सेल जनपद सोनभद्र।
03. उ०नि० श्री जयप्रकाश शर्मा चौकी प्रभारी हिन्दवारी थाना राबर्टसगंज सोनभद्र।
04. हे०का० जगदीश मौर्या, हे०का० जितेन्द्र पाण्डेय, हे०का० अरविन्द सिंह, हे०का० विरेन्द्र कुशवाहा, का० हरिकेश यादव, का० रितेश पटेल, का० अमर सिंह, स्वाट टीम/एसओजी टीम जनपद सोनभद्र।
05. का० सौरभ राय, का० दिलीप कश्यप, का० अमित सिंह सर्विलांस सेल अपराध शाखा सोनभद्र।

इस गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 627,628,629/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

इस सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को उत्साहवर्द्धन हेतु श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है।